न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 06/2020

राजेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामभजन गुर्जर जाति गुर्जर निवासी किशनपुरा बीड की ढाणी गणेशपुरा तहसील दौसा जिला दौसा

..अपीलांट

बनाम

1. देवनारायण पुत्र रामभजन
2. धर्मसिंह पुत्र रामभजन
3. बरजी देवी पत्नि रामभजन
4. मीरा पुत्री रामभजन
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामभजन

समस्त जाति गुर्जर निवासी किशनपुरा बीड की ढाणी गणेशपुरा तहसील दौसा

6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं0 16 वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा जिला दौसा के आदेश दिनांक 01.06.1992 पर पारित किया गया है।

उपस्थित–1.श्री सेडू राम शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय

दिनांक: 06.02.2024

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 01.06.1992 को ग्राम गणेशपुरा का नामान्तरण सं0 16 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नंबर 708 से 712, 716 से 718 कुल किता 8 रकबा 3.60है0 का खातेदार व काबिज काश्तकार अपीलांट व रेस्पों0 सं0 1 से 5 के पिता रामभजन पुत्र लाल्या था। रामभजन की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तरण अपीलांट व रेस्पो. सं0 1 से 5 के नाम बराबर हिस्से का नामान्तरण सं0 16 दिनांक 01.06.1992 को तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया। अपीलांट की माता निरक्षर है और पढना लिखना नहीं जानती है। अपीलांट के पिता की मृत्यु के समय अपीलांट नाबालिग था। अपीलांट व रेस्पो0 1 से 5 के पिता की मृत्यु होने पर उसक विरासत का नामान्तरण खुलवाने हेतु अपीलांट की माता ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। राजस्व कर्मचारियों ने बिना कोई जांच किये बगैर ही गलत तरीके से अपीलांट का नाम राजू घर पर बोलता नाम होने के कारण राजेन्द्र सिंह के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:48:01 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर 2 पर

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

राजू अंकित कर दिया है जो गलत अंकित कर दिया है। सभी रिकार्ड एवं दस्तावेजों में अपीलांट का नाम राजेन्द्र सिंह अंकित है। अपीलांट को राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई उक्त गडबडी की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट ने उक्त भूमि की जमाबंदी की नकल हल्का पटवारी से दिनांक 15.6.2020 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई है। अधीनस्थ तहसीलदार दौसा का निर्णय विधि विरूद्ध, प्रकिया व नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ तहसीलदार दौसा ने बिना कोई जानकारी किये अपीलांट के हिस्सा 1/6 के नामान्तरण सं0 16 दिनांक 1.6.1992 में अपीलांट का नाम राजेन्द्र सिंह गुर्जर के बजाय राजू का नाम भर कर तस्दीक किये जाने में कानूनी गलती की है। प्रश्नगत नामान्तरण प्रारंभ से ही अवैध एवं प्रभावशून्य है।अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामांतरण संख्या 16 विरासत दिनांक 01.06.2002 जो कि तहसीलदार दौसा द्वारा वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा तस्दीक किया गया है को निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा को आदेश प्रदान करने की कृपा करें कि अपील के चरण सं0 01 में वर्णित भूमि के हिस्से 1/6 में अपीलांट का जो नाम राजू अंकित है को विलोपित कर उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम राजेन्द्र सिंह गुर्जर के नाम नामान्तरण खोला जावे।

4. रेस्पों0 सं0 01 से 05 बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरण में सहवन से अपीलांट का नाम राजेन्द्र सिंह गुर्जर के स्थान पर राजू दर्ज हो गया होगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट को स्वयं को ध्यान में रखकर उक्त कार्यवाही नामांतरण तस्दीक होने से पूर्व में ही करवानी चाहिए थी, फिर भी यदि त्रुटि केवल अपीलांट के नाम के हद तक ही है, तो तहसीलदार दौसा को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

6.अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 01.06.1992 को ग्राम गणेशपुरा का नामान्तरकरण सं0 16 विरासत के आधार पर समस्या समाधान शिविर में तस्दीक कर दिया गया। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरण में रामभजन पुत्र लाल्या गुर्जर के फौत होने पर रामभजन की विरासत धर्मसिंह, देवनारायण, राजू, छोटेलाल पुत्र रामभजन, मीरा पुत्री रामभजन, मु0 बरजी बेवा रामभजन के नाम नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जॉच एवं आदेशार्थ पेश किया गया। जिसके आधार पर मुताबिक पटवारी रिपोर्ट जॉच गिरदावर के अंकित कर तहसीलदार दौसा ने दिनांक 01.06.1992 को नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरण के खिलाफ अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील दायर कर, अपीलांट राजेन्द्र सिंह गुर्जर का नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र सिंह दर्ज करने की इस्तदुआ की गई। अपीलांट के हक में नामांतरण संख्या 16 दिनांक [illegible]92 वाके ग्राम गणेशपुरा को तस्दीक किया गया है, जिसमें अपीलांट का नाम [illegible] के स्थान पर राजू गलत दर्ज कर दिया गया है। अपील के [illegible] अपीलांट का सही व वास्तविक नाम राजेन्द्र सिंह है ना कि राजू। अपीलांट मृतक राजभजन का कानूनी वारिस है। अपीलांट राजेन्द्र सिंह द्वारा अपील के संलग्न राशन कार्ड, आधार कार्ड व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.11 10:18:01 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर 3 पर

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

ग्राम पंचायत गणेशपुरा से जारी किये गये पत्र आदि का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट का नाम राजेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र रामभजन अंकित है। हम प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

7.उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 16 वाके ग्राम गणेशपुरा पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.1992 को अपीलांट के नाम राजू की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 06 फरवरी, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:48:01 IST
Reason: SelfAttested